::आदेश::

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय पिर्यसन रोड़ वन अनुसंधान संस्थान परिसर देहरादून के पत्र संख्या–8बी0/यू0सी0पी0/06/47/2015 एफ0सी0/ 995 दिनाँक 17 अगस्त 2015 के द्वारा जनपद के अन्तर्गत कैथोली से नैखरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.47हे0 वन भूमि के गैरवानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु कतिपय प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त स्वीकृति की शर्त संख्या–01 के अनुसार कैथोली से नैखरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.47हे0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सापेक्ष 2.94हे0 सिविल सोयम भूमि को हस्तान्तरित किया जाना है।

उप जिलाधिकारी तथा तहसलीदार जाखणीधार द्वारा अपने प्रस्ताव दिनाँक 27.03.2013 की छायाप्रति सहायक अभियन्ता द्वारा सत्यापित कर संलग्न की गई है। जिसका विवरण निम्नवत् है–:

तहसील	ग्राम सभा	पट्टी	खसरा संख्या	कुल रक्वा (हे0में)	याचित रक्वा (हे0में)
01	02	03	04	05	06
जाखणीधार	घोघस	लामरीधार	1138	1.093	1.093
			1180	0.632	0.632
			1232	1.071	0.714
			1243	0.501	0.501
योग			4	3.297	2.940

उक्त प्रस्तावित कैथोली से नैखरी मोटर मार्ग का प्रस्ताव शासनादेश सँख्या 2882/XVIII(II) 11–18 (120) /2010 दिनाँक 11.11.2011 पर शासनादेश संख्या 2365 /XVIII(II)/13–18(120)/2010 टी0सी0 दिनाँक 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशानुसार प्रस्तावित 1.47हे0 वन भूमि के सापेक्ष दुगनी 2.940हे0 सिविल राजस्व भूमि वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तन किया जाना है।

अतएव शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II)/2012–18 (120)/2010 राजस्व अनुभाग दिनाँक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उप जिलाधिकारी जाखणीधार द्वारा प्रस्तावित की गयी ग्राम घोघस पट्टी लामरीधार की 2.940हे0 राजस्व सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अन्तरित की जाती है। तहसीलदार जाखणीधार तत्काल उक्त भूमि का राजस्व अभिलेखों में नामान्तरण/इन्द्राजी करना सुनिश्चित करें।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या–2819 /XXVI-07 (2014–15) दिनांक नई टिहरी अगस्त, 2015

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–:

1– सचिव वन विभाग उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
4– नोडल अधिकारी वन भूमि हस्तान्तरण वन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
5– प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी।
6– उपजिलाधिकारी जाखणीधार।
7– अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0लो0नि0वि0 नई टिहरी।
8– तहसीलदार जाखणीधार।

जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

नकल खतौनी ग्राम होघस ... तहसील जाखणीधार जिला टिहरी गढ़वाल

मूलेख प्रपत्र सं० प–11

फसली – 1419 से 1424 तक

श्रेणी 9–3 भूमि खाते के बाहर की कृषि योग्य बंजर भूमि

1	2			3	4	5	6	7	8
5	उ०प्र० सरकार वर्ग 9(3)50	1	0.429						1423 फ० मुताबिक आदेश जिलाधिकारी महोदय टिहरी गढ़वाल के आदेश संख्या 2819/XXVI-07-(2014/15) के अनुसार खसरा नं० 1138 रकबा 1.093 है० 1180 रकबा 0.632 है० 1232 नं० रकबा 0.714 है० 1243 रकबा 0.501 कुल रकबा 2.940 है० भूमि टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी को क्षति पूरक वृक्षारोपण हेतु अन्तरित किये जाने का आदेश है। (हस्ताक्षर) रा०उ०नि० ... 24/09/15
		2	0.216						
		1137	0.070						
		1138	1.093						
		1179	0.014						
		1180	0.632						
		1183	0.030						
		1232	1.071						
		1240	0.529						
		1243	0.581						
	योग	136	14.198						

प्रति हस्ताक्षरित।

तहसीलदार
जाखणीधार
टिहरी गढ़वाल।
24/09/15

असल खतौनी से नकल बराबर की
(हस्ताक्षर)
रा० उ०नि० ...
24/09/15

मूलेख प्रपत्र सं0 प–11

नकल खतौनी ज0 कि0 र0 ग्राम [illegible] र0 [illegible] [illegible] तहसील जाखणीधार, टिहरी गढ़वाल

फसली – 1419 से 1424 तक

श्रेणी 9 – 3 भूमि खाते के बाहर की कृषि योग्य बंजर भूमि

1	2	3		4	5	6	7	8
5	उ0 प्र0 सरकार	1	0.429		1423 फ0			
	वर्ग 9(3) 50	2	0.216		मुताबिक आदेश जिलाधिकारी महोदय टिहरी गढ़वाल के आदेश संख्या 2814/XXVI-07-(2014-15) के अनुसार खसरा नं0 1138 रकबा 1.093 है0 1180 रकबा 0.632 है0, 1232 रकबा 0.714 है0 1243 रकबा 0.581 कुल रकबा 2.940 है0 भूमि टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी को क्षति पूरक वृक्षारोपण हेतु अन्तरित किये जाने का आदेश है।			
					[illegible] रा0 उ0 नि0 24/09/15			
		1137	0.070					
		1138	1.093					
		1179	0.014					
		1180	0.632					
		1183	0.030					
		1232	1.071					
		1240	0.529					
		1243	0.581					
	योग	136	14.198					

प्रति हस्ताक्षरित।

अमल खतौनी में दर्ज [illegible]

[illegible] रा0 उ0 नि0 [illegible] 24/09/15

तहसीलदार
जाखणीधार
टिहरी गढ़वाल।
24.09.15

नकल खतौनी उ० खि० र० ग्राम ढोघस् [illegible] तहसील जाखणीधार जिला [illegible]

मूलेख प्रपत्र सं० प–11

फसली – 1419 से 1424 तक

1	2	3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8
	श्रेणी 9-3 भूमि खाते के बाहर की कृषि योग्य बेनाप भूमि												
5	उ०प्र० सरकार		1	0.429			1423 फ०						
	नगी 9(3)50		2	0.216			मुताबिक आदेश जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के आदेश संख्या 2819/XXVI-07-(2014/15) के अनुसार खसरा नं० 1138 रकबा 1.093 हे० 1180 रकबा 0.632 हे० 1232 रकबा 0.714 हे० 1243 रकबा 0.581 कुल रकबा 2.940 हे० भूमि टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी को क्षति पूरक वृक्षारोपण हेतु अन्तरित किये जाने का आदेश है।						
			1137	0.870									
			1138	1.093									
			1179	0.014									
			1180	0.632									
			1183	0.030									
			1232	1.071									
			1240	0.529									
			1243	0.581									
		योग	136	14.198									

ह० [illegible] रजि० कानूनगो 24/09/15

प्रति हस्ताक्षरित।

तहसीलदार
जाखणीधार
टिहरी गढ़वाल।
24.09.15

असल खतौनी से नकल मिलान की
ह० [illegible]
उप रजि० कानूनगो
24/09/15